<u>एमओपी में एडवांस लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस सेवा की तैनाती के लिए ई-निविदा: बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त</u>

(ई-निविदा सं: 2026_आरबीआई_292975_1)

उपर्युक्त विषय से संबंधित ई-निविदा के लिए बोली-पूर्व बैठक 02 नवंबर 2026 (सोमवार) को दोपहर 3 बजे आरबीआई कोलकाता के मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित की गई थी।

बैठक में दो (2) संभावित बोलीकर्ताओं अर्थात् मैसर्स जीवन सुरक्षा और मैसर्स द गोल्डन ऑवर एम्बुलेंस ने भौतिक रूप से भाग लिया। इसके अलावा, बैठक में केंद्रीय स्थापना अनुभाग (सीईएस), आरबीआई, कोलकाता के अधिकारियों ने भाग लिया, अर्थात श्री प्रवीण सोरेंग, डीजीएम; श्री राजर्षि अधिकारी, एजीएम; सुश्री वुंगथेइचिंग, प्रबंधक; श्री विकास गुरुंग, प्रबंधक और सुश्री सुजाता राय, सहायक प्रबंधक।

2. ई-निविदा के संबंध में एक संक्षिप्त परिचय के बाद, संभावित बोलीकर्ताओं द्वारा कुछ प्रश्न उठाए गए थे, जिसे स्पष्ट किया गया। इसका सारांश इस प्रकार है:

क्रम संख्या	**प्रश्न**	**स्पष्टीकरण/ दी गई प्रतिक्रिया**
1.	खंड III (पैरा 4.2) में उल्लिखित प्रत्येक पूर्ण सेवाओं/कार्य (अर्हता) का न्यूनतम मूल्य क्या है।	यह स्पष्ट किया गया था कि निविदा दस्तावेज के पैरा 4.2 में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक को पूरा किया जाना चाहिए। i. तीन समान पूर्ण सेवाओं/कार्यों में से प्रत्येक की लागत ₹3,00,000 के बराबर राशि से कम नहीं हो, जो अनुमानित लागत का 10% है। या ii. दो समान पूर्ण सेवाओं/कार्यों की लागत ₹4,50,000 के बराबर राशि से कम नहीं हो, जो अनुमानित लागत का 15% है। या

		iii. एक समान सेवाओं/कार्य की लागत ₹6,00,000 के बराबर राशि से कम नहीं हो, अर्थात अनुमानित लागत का 20%।
2.	ईएमडी को किस समय सीमा के भीतर वापस किया जाएगा?	निविदा दस्तावेज की खंड V के पैरा 13.1 के अनुसार, असफल वेंडरों के ईएमडी को सफल वेंडर/रों को संविदा प्रदान करने के 15 दिनों के भीतर वापस कर दिया जाएगा।